

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक पठ 8(2) राज/वाद/12


जयपुर, दिनांक

:: आदेश ::

विधि विभाग ने अधिसूचना दिनांक 12.08.23 द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) सं02 जोधपुर सृजित किया है तथा वर्तमान में कार्यरत विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) जोधपुर का नाम परिवर्तित करते हुये विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) सं01 जोधपुर किया है।


अतः विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.08.23 के क्रम में विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवीरत विशिष्ट लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) जोधपुर का पदनाम परिवर्तित करते हुये विशिष्ट लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) सं01, जोधपुर किया जाता है।

आज्ञा से,

  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी (जीएसवाई), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव विधि।
5. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर।
6. विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) सं01 / सं02 जोधपुर।
7. जिला कलक्टर, जोधपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
9. कोषाधिकारी, जोधपुर।
10. संबंधित कार्यालय।
11. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग।
12. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

  
25/8/23  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि